रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2004.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 11 मई, 2004/21 वैशाख, 1926

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला (हि० प्र०)

कारण बताओ नोटिस

धर्मशाला, 16 अप्रैल, 2004

संख्या पंच के० जी० आर०-ई० (15) 42/91- 1811-15.—इस कार्यालय को खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड लम्बागांव ने अपने कार्यालय पत्र सं० 6530, दिनांक 10-3-2004 के अन्तर्गत सूचित किया है कि आपकी पंचायत को निर्माण रास्ता पी० डब्ल्यू० डी० सड़क से श्री पुरुषोतम चन्द के घर तक के लिए विकास

खण्ड लम्बागांव द्वारा मु0 36,668/- रु0 को राशि प्रदान की गई थी आपद्वारा निष्पादित उक्त निर्माण कार्य का मूल्यांकन सहायक अभियन्ता विकास खण्ड लम्बागांव द्वारा किया गया है तथा उपरोक्त निर्माण पर कुल व्यय 30,837/ रु0 मूल्यांकित किया गया है ।

इस प्रकार प्रधान द्वारा मु0 5,831/- रु0 सरकारी धन का दुरुपयोग किया है जिसकी पुष्टि खण्ड विकास अधिकारी लम्बागांव के पत्र क्रमांक 3683, दिनांक 17-10-2003 तथा नोटिस क्रमांक 3906, दिनांक 7-11-2003 जिसकी प्रतियां आपको प्रेषित की जा चुकी है के अन्तर्गत होती है ।

इसके अतिरिक्त आपके विरुद्ध पंचायत सम्बन्धी अन्य विकास कार्य को करवाये जाने में भी जानकारी करने का आरोप लगाया गया है जिसकी पुष्टि खण्ड विकास अधिकारी, लम्बागांव के पत्र सं0 6530, दिनांक 10-3-2004 तथा ग्राम पंचायत भगैतर द्वारा 6/7 सदस्यों की उपस्थिति में पारित प्रस्ताव संख्या 5 दिनांक 24-3-2004 के अन्तर्गत होती है ।

क्योंकि इस प्रकार श्रीमती निर्मला देवी, प्रधान, ग्राम पंचायत भगैतर के विरुद्ध मु0 5831/- रु0 पंचायत निधि का दुरुपयोग करने तथा अपने कर्तव्यों के प्रति उपेक्षा के आरोप प्रकट हुए हैं ।

अतः हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145 (2) तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 142(क) के अन्तर्गत मैं, हेम राज शर्मा, जिला पंचायत अधिकारी, कांगडा स्थित धर्मशाला, श्रीमती निर्मला देवी, प्रधान, ग्राम पंचायत भगैतर, विकास खण्ड लम्बागांव को कारण बताओ नोटिस जारी करता हूं । आपका उत्तर इस कार्यालय में 15 दिनों के भीतर-भीतर खण्ड विकास अधिकारी लम्बागांव के माध्यम से पहुंच जाना चाहिए अन्यथा यह समझा जाएगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहना है तथा आगामी कार्यवाही हेतु यह कार्यालय विवश होगा जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।

हेम राज शर्मा,
जिला पंचायत अधिकारी,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला (हि0 प्र0) ।

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE MANDI, DISTRICT MANDI (H. P.)

ORDER

Mandi, the 23rd April, 2004

No. SR/LC/L&O/Elec./2004-12156-70.—Whereas it is essential to maintain strict law and order in the district in view of the coming Lok Sabha Election.

Therefore, I, Ali R. Rizvi, District Magistrate, Mandi District, Mandi in exercise of power conferred upon me under section 144 Cr. P. C. do hereby impose restriction on carrying fire arms or any other lethal weapon in public places with effect from 26-4-2004 to 14-5-2004 in the entire Mandi District. This order shall not apply to the personnel of H. P. Police, H. P. Home Guards & Central Para Military Forces and any other Govt. armed forces that may be requisitioned by the State Govt. or by the Returning Officer for the conduct of elections.

Any person violating the said order shall be liable for prosecution.

ALI R. RIZVI,
District Magistrate,
Mandi, District Mandi (H. P.).

कार्यालय उपायुक्त सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

कारण बताओ नोटिस

सोलन, 30 अप्रैल, 2004

संख्या सोलन-3-76(पंच)/2002-3112-17.—यह कि श्री गोपाल चन्द सदस्य, ग्राम पंचायत जाडली, वार्ड नं0 4, विकास खण्ड सोलन, हिमाचल प्रदेश का ध्यान हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की संशोधित धारा 122 (1) के खण्ड (ण) की ओर आकर्षित करते हुए निम्नलिखित सूचित किया जाता है :—

(ण) यदि उसके दो से अधिक सन्तान हैं, परन्तु खण्ड (ण) के अधीन निरर्हता उस व्यक्ति को लागू नहीं होगी जिसके यथास्थिति हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ होने की तारीख पर या ऐसे प्रारम्भ के एक वर्ष की अवधि के भीतर दो से अधिक जीवित सन्तान है, जब तक उसकी उक्त एक वर्ष की अवधि के पश्चात् और सन्तान नहीं होती ।

अत: क्योंकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000, 8 जून, 2001 को लागू हो चुका है तथा धारा 122(1) के खण्ड (ण) का प्रावधान 8 जून, 2001 से प्रभावी होता है ।

यह कि श्री गोपाल चन्द सदस्य, ग्राम पंचायत जाडली, वार्ड नं0 4 को उपरोक्त अधिनियम के प्रावधान लागू होने से पूर्व दो जीवित सन्तानें है और खण्ड विकास अधिकारी सोलन ने अपने पत्र संख्या पी-(20)/2001-निर्वाचन-पंच-966, दिनांक 16-4-2004 द्वारा सूचित किया है कि उक्त सदस्य के एक अतिरिक्त तीसरी सन्तान दिनांक 16-1-2004 को हुई है । जिसके फलस्वरूप श्री गोपाल चन्द सदस्य, ग्राम पंचायत जाडली, वार्ड नं0 4, विकास खण्ड सोलन, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की संशोधित धारा 122(1) के खण्ड (ण) के प्रावधान अनुसार सदस्य पद पर बने रहने के अयोग्य हो गए है ।

अत: श्री गोपाल चन्द सदस्य, ग्राम पंचायत जाडली, वार्ड नं0 4, को निर्देश दिए जाते है कि वह इस नोटिस के प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर-भीतर लिखित रूप में अपना पक्ष प्रस्तुत करें कि उपरोक्त वर्णित अयोग्यता के दृष्टिगत क्यों न उनके विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (1) (क) के अधीन कार्यवाही अमल में लाई जाए ।

हस्ताक्षरित/-
उपायुक्त,
सोलन, जिला सोलन (हि0 प्र0) ।

जिला पंचायत अधिकारी, सोलन, जिला सोलन (हि0 प्र0)

कार्यालय आदेश

सोलन, 19 अप्रैल, 2004

संख्या सोलन-3-92 (पंच)/III-2162.—खण्ड विकास अधिकारी, धर्मपुर ने अपने पत्र संख्या डीपीडी-(पंच)-226, दिनांक 26-3-2004 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया जाता है कि उनके विकास खण्ड में ग्राम पंचायत कृष्णगढ़ के प्रधान श्री मनोज कुमार पुत्र श्री हेत राम, ग्राम पंचायत कृष्णगढ़ की नियुक्ति पैरा अध्यापक, प्रवक्ता स्कूल कैडर, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय धर्मपुर में होने के कारण उन्होंने अपने पद से त्याग-पत्र दिया है ।

अतः मैं, सम्पूर सिंह आजाद, जिला पंचायत अधिकारी सोलन, जिला सोलन (हि० प्र०), पंचायती राज अधि नियम, 1994 की धारा 130 (1) तथा हि० प्र० पंचायती राज सामान्य नियम, 1977 के नियम 135 के अन्तर्गत विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए विकास खण्ड धर्मपुर, की ग्राम पंचायत कृष्णगढ़ के प्रधान के त्याग-पत्र को स्वीकार करते हुए प्रधान पद को रिक्त घोषित करता हूं ।

सम्पूर सिंह आजाद,
जिला पंचायत अधिकारी,
सोलन, जिला सोलन (हि० प्र०) ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित